दिनांक 28.08.2017 को आहूत SEIAA, झारखण्ड की बैठक की कार्यवाही

दिनांक 28.08.2017 को SEIAA की बैठक धुर्वा स्थित कार्यालय में श्री जब्बर सिंह, सदस्य सचिव SEIAA की अध्यक्षता में आहूत की गयी जिसमें सदस्य, SEIAA श्री एस० सी० नारायण ने भाग लिया तथा बैठक में निम्नवत् बिन्दुओं पर विमर्श हुआ एवं निर्णय लिया गया:–

दिनांक 07.08.2017 को आयोजित SEIAA की बैठक की कार्रवाई अध्यक्ष, SEIAA के द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित नहीं हो पाई फलस्वरूप अध्यक्ष, SEIAA को उनके ईमेल पर कार्रवाई प्रेषित करते हुए अनुमोदन हेतु दिनांक 18.08.2017 को अनुरोध किया गया एवं उनके मोबाईल नं० पर SMS द्वारा भी अनुरोध किया गया।

पुनः दिनांक 23.08.2017 को अध्यक्ष, SEIAA को एक स्मार ई–मेल के द्वारा भेजा गया चूंकि बैठक की कार्रवाई के पांच दिनों के उपरांत बैठक की कार्रवाई वेबसाइट पर अपलोड की जानी होती है। अतः इस बिन्दु पर विमर्श हेतु SEIAA, सदस्य श्री एस० सी० नारायण को बैठक की कार्रवाई ईमेल करते हुए दिनांक 28.08.2017 को 11 बजे SEIAA कार्यालय में बैठक हेतु उपस्थित होने को अनुरोध दिनांक 26.08.2017 को ई–मेल द्वारा किया गया। इसी आलोक में दिनांक 28.08.2017 को SEIAA की 50वीं बैठक आहुत की गयी जिसमें निम्न निर्णय लिये गए:–

I. चूंकि SEIAA की दिनांक 07.08.2017 आहुत 49वीं बैठक में अध्यक्ष SEIAA भी उपस्थित थे एवं सभी बिन्दुओं पर SEIAA द्वारा एक मत से निर्णय लिए गये थे अतः तीन सप्ताह समय व्यतीत हो जाने के कारण 49वीं बैठक की कार्रवाई जो अध्यक्ष SEIAA को ईमेल की गयी थी को अंतिम मानते हुए वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्णय लिया गया।

II. इसी क्रम में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायलय द्वारा वाद सं० WP(C) 1799, 2017 में दिनांक 10.07.2017 को पारित आदेश के आलोक में मेसर्स इकोटेक कोल इंडस्ट्रीज प्रा० लि० द्वारा समर्पित आवेदन पत्र पर भी विचार किया गया।

मेसर्स इकोटेक कोल इंडस्ट्रीज प्रा० लि० के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु समर्पित आवेदन पर SEAC, झारखण्ड द्वारा 40वी बैठक में विचारोपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने हेतु SEIAA को अनुसंशा की गयी परन्तु SEIAA, झारखण्ड द्वारा दिनांक 10.03.2017 को 46वीं बैठक में SEAC से प्राप्त अनुसंशा पर विमर्श उपरान्त पाया कि DMO, Ranchi द्वारा आवेदित खनन क्षेत्र के 500m. के परिधि में अवस्थित अथवा आवेदित खनन पट्टों के बारे में स्पष्ट प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था।

अतः SEIAA द्वारा इस अनुसंशा को with held करते हुए तत्काल पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत नहीं की गयी फलस्वरूप आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में वाद सं0 WP(C) 1799 दायर

किया गया एवं माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामलें में आवेदक द्वारा fresh representation दिए जाने पर दो महीने के भीतर आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में समर्पित आवेदन पर आज SEIAA की बैठक में विचार किया गया, चुँकि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति (SEAC) झारखण्ड, द्वारा 40वीं बैठक में सभी तकनिकी पहलुओं एवं अन्य अर्हताओं पर विचारोपरांत पर्यावरणीय स्वीकुति निर्गत करने हेतु अनुसंशा की गयी थी लेकिन राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण SEIAA झारखण्ड, द्वारा आवेदित स्थल की आस–पास के खनन पट्टों के बारें में स्थिति स्पष्ट नही होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकुति निर्गत नही की गयी अतः इस संबंध में निर्णय लेने से पूर्व SEIAA द्वारा उठाए गये इस बिन्दू पर स्पष्ट हो लेना आवश्यक है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति (SEAC) झारखण्ड की 07.12.2016 को आयोजित 39वीं बैठक में आवेदक से प्राप्त जिला खनन पदाधिकारी राँची के प्रमाण पत्र की अस्पष्टता के कारण जिला खनन पदाधिकारी राँची से पुनः प्रमाण पत्र मांग कर समर्पित करने हेतु निर्देश देने का निर्णय लिया गया।

इसी आलोक में जिला खनन पदाधिकारी राँची द्वारा दिनांक–24.12.2016 को ज्ञापांक–1724 द्वारा ये प्रमाणित किया गया कि आवेदित क्षेत्र से 500 मीटर के अंतर्गत कोई खनन पट्टा नही है, परन्तु उसके आस–पास आवेदित अन्य खनन पट्टों की स्थिति के बारे में कोई टिप्पणी नही की गयी फलस्वरूप SEIAA द्वारा 46 वीं बैठक मे SEAC की अनुसंशा के बाद भी पर्यावरणीय स्वीकुति निर्गत नही की गयी।

आवेदक द्वारा अद्यतन समर्पित representation के Annexure –I में लगे जिला खनन पदाधिकारी, राँची के प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि जिला खनन पदाधिकारी राँची के पूर्व में निर्गत प्रमाण पत्र में वर्णित अन्य खनन पट्टा आवेदन कालतिरोहित होकर अस्वीकृत हो चुकें है एवं मात्र एक 10 Acre का LOI सहमति प्रमाण पत्र आवेदित प्लॉट के अन्दर ही निर्गत किया गया है ऐसे में आवेदक के खनन पट्टे (40 Acre) एवं उसी प्लॉट पर विचाराधिन अन्य खनन पट्टे (10 Acre) का कुल क्षेत्रफल 50 Acre हो जाता है एवं यह आवेदन भारत सरकार के SO no. 141, दिनांक 15.01.2016 के अनुसार B2 Category में Cluster Mining के तहत आता है, जिसमें Cluster area of mining lease 20.24 Ha हो जाता है। चुँकि आवेदक का खनन पट्टा क्षेत्रफल 5 हे० से ज्यादा है अतः SEIAA के स्तर से इस मामलें में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जाना है। आवदेक द्वारा Form-1, PFR, AMP एवं EMP समर्पित किया गया है अतः SEIAA की 40वीं बैठक में उठाए गये आपत्तियां का निराकरण आवेदक द्वारा किया जा चुका है। SEAC की 40वीं बैठक में की गयी अनुसंशा के आलोक में सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत की जा सकती है।

III. राज्य सरकार द्वारा संकल्प सं० 149 दिनांक 02.03.2017 में अधिसूचित उद्योग, खान एवं भूतत्व संबंधित विभाग नियमावली सं० 153/05–513 एम के प्रवधानों के अनुरूप अधिसूचना की निर्गत तिथि से 180 दिनों के अन्दर आवेदक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा खनन पटटा आवेदन स्वतः अस्वीकृत हो जाएगा इसी आलोक मे SEIAA में कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिन पर विचार कर उनका निस्पादन ससमय किया जाना उचित है। प्राप्त आवेदनों पर विचारोपरांत निम्न निर्णय लिए गए।

a. SEIAA, झारखण्ड की दिनांक 07.08.17 की आयोजित 49वीं बैठक में लिए गए निर्णयानुसार जिन आवेदकों को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत की जानी है उस पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ताकि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समय सीमा के कारण आवेदकों को अनावश्यक असुविधा ना हो।

b. M/S Guru Stone Deposit Mouza-Belpahari & Suraidih, Dist-Pakur के अंतर्गत आवेदित आवेदन पर विचारोपरान्त पाया गया कि इनके द्वारा समर्पित आवेदन राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति (SEAC) झारखण्ड के समक्ष विचारार्थ लंबित है अतः उनके आवेदन पर कोई विचार नही किया जा सकता है।

c. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के 05.08.2017 की बैठक में पर्यावरणीय स्वीकृति के मामलों में लग रहे समय को कम करने हेतु सचिव की उपस्थिति में लिये गये निर्णयों में उल्लेखित है कि "Cases of minor amendments typographical changes, validity extension need not be put up before the EAC, which is a reason for delay and increases unnecessary labour / paperwork." के आलोक में निम्न निर्णय लिया जाता हैः–

   i. श्री अजीत कुमार द्वारा Kairasai Stone Deposit Proposal No.62244/2017 dated-10.03.2017 के बारे में पर्यावरणीय स्वीकुति हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार किया गया राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति (SEAC) झारखण्ड द्वारा 44वीं बैठक में इनके आवेदन पर विचारोपरान्त पर्यावरणीय स्वीकुति निर्गत करने हेतु अनुसंशा की गयी थी, परन्तु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) झारखण्ड, द्वारा 49वीं बैठक के अभिलेखों में कुछ कमियां पायी गयी। इन कमियों के निराकरण हेतु अगर आवेदक द्वारा आवश्यक अभिलेख समर्पित किए जाते हैं, तो पर्यावरणीय स्वीकुति निर्गत करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

   ii. M/S Sidhpahari Stone Mine के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त Proposal No.62244/2017 द्वारा समर्पित आवेदन पर विचारोपरान्त पाया गया कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति (SEAC) झारखण्ड द्वारा 43वीं बैठक में विचारोपरान्त इस प्रस्ताव को पर्यावरणीय स्वीकुति निर्गत करने हेतु अनुसंशा की गयी थी, परन्तु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) झारखण्ड, की 49वीं बैठक के द्वारा इस

प्रस्ताव के अभिलेखों में कुछ त्रुटियां पायी गयी। आवेदक द्वारा ससमय आवश्यक कागजात समर्पित कर दिया जाता है तो पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने हेतु अग्रेतर की कार्रवाई की जा सकती हैं।

iii. M/s Majurahi Stone Deposit के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त Proposal No.62233/2017 द्वारा समर्पित आवेदन पर विचारोपरान्त पाया गया कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति (SEAC) झारखण्ड द्वारा 44वीं बैठक में विचारोपरान्त इस प्रस्ताव को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने हेतु अनुसंशा की गयी थी, परन्तु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) झारखण्ड, की 49वीं बैठक के द्वारा इस प्रस्ताव के अभिलेखों में कुछ त्रुटियां पायी गयी। इन कमियों के निराकरण हेतु अगर आवेदक द्वारा आवश्यक अभिलेख समर्पित किए जाते हैं, तो पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

सदस्य
(श्री एस० सी० नारायण)
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात
निर्धारण प्राधिकरण,
झारखण्ड, रांची।

सदस्य सचिव
(श्री जब्बर सिंह)
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात
निर्धारण प्राधिकरण,
झारखण्ड, रांची।